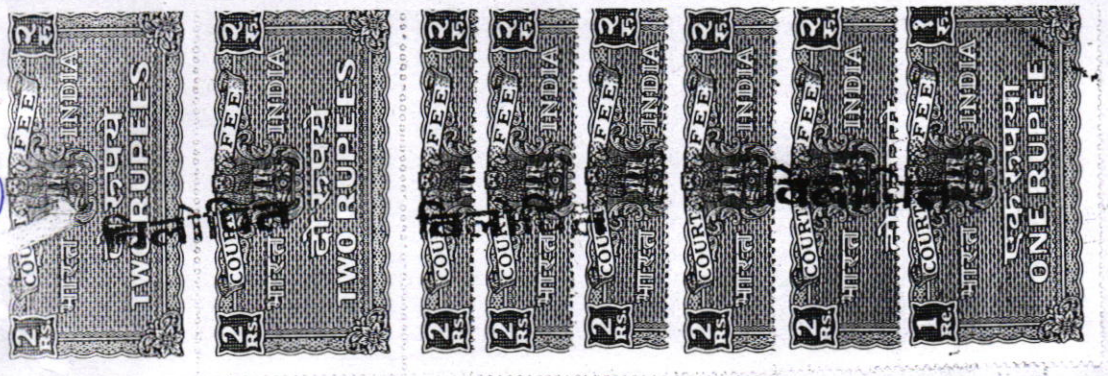

(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /08

R 164-I/08

(1) रामसुदर्शन सिंह तनय श्री छकौड़ी सिंह

(2) महेन्द्र सिंह तनय श्री रामसुदर्शन सिंह

समस्त निवासी ग्राम-अबेर, तहसील-रामपुर, बघेलान, जिला-सतना (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

(1) म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जिला सतना

(2) सिद्धार्थप्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री रामकिशोर अग्रवाल

(3) मुस. सुन्दरादेवी जोजे सुदामाप्रसाद

(4) सुदामा प्रसाद तनय कमला प्रसाद अग्रवाल

(5) चिन्तामणि तनय कमलाप्रसाद अग्रवाल

(6) मुस. जानकी बल्द नर्मदा प्रसाद

समस्त निवासीगण ग्राम कोटर, तहसील रामपुर, बघेलान, जिला-सतना

(7) मुस. कैलशिया वेवा चुन्नी

(8) रामकुमार पुत्र चुन्नी कोल

(9) भाईलाल पुत्र चुन्नी कोल

(10) रामनरेश पुत्र चुन्नी कोल

(11) राघवेन्द्र सिंह पुत्र कमलभान सिंह

(12) ददिया पुत्र मंधारी हरिजन

(13) मुस. फुलझरिया वेवा मतदिनमा,

(14) गोक्करण पुत्र मतदिनमा हरिजन

(15) ललइया पुत्र मतदिनमा हरिजन

(16) शिवचरण पुत्र मतदिनमा हरिजन

(17) रामेश्वर पुत्र मंधारी हरिजन

(18) गंगा पुत्र गइला कोल

(19) लक्षिमन पुत्र गइला कोल

(20) मोहन पुत्र गइला कोन

श्री के.के. द्विवेदी एडवोकेट द्वारा आज दि० 19-2-08 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मंडल म० प्र० ग्वालियर

19.2.08
K.K. Dwivedi
Advocate

(21) ददोली पुत्र महगं कोरी

(22) चुनकामन पुत्र महगं कोरी

समस्त निवासीगण ग्राम अबेर, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना (म.प्र.)

(23) रामाश्रय सिंह पिता महादेव सिंह सा. इटौर, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला-सतना (म.प्र.) ..... अनावेदकगण

न्यायालय अपर कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/पुर्नाविलोकन/07-08 में पारित आदेश दिनांक 03.12.2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1- यहकि, मौजा अबेर, तृहसील रामपुर बघेलान जिला सतना में स्थित आराजी नं. 168 रकवा 5.16 एकड़ भूमि आवेदकगणों की भूमि स्वामी स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि थी जिसका विधिवत् पट्टा आवेदकगणों के हित में जारी किया गया था एवं पट्टा दिनांक से विवादित भूमि पर आवेदकगणों का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है एवं वर्तमान में है।

2- यहकि, अधिक समय बाद कलेक्टर जिला सतना द्वारा उक्त प्रकरण को स्वमेव निगरानी में प्रकरण क्रमांक 38/06-07 दर्ज कर लिया गया। इस प्रकरण में कलेक्टर न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की गयी वह अधिकारिता रहित कार्यवाही थी क्योंकि आवेदकगणों के हित में जो भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये गये थे उसकी व्यथित व्यक्ति को विधिवत् रूप से अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी जो नहीं की गयी एवं कलेक्टर न्यायालय को अधिक समय बाद स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण किये जाने की अधिकारिता भी नहीं है। इन वैधानिक बिन्दुओं पर विचार किये बिना एवं आवेदकगणों को सूचना सुनवाई का विधिवत् अवसर प्रदान किये बिना अपने आदेश दिनांक 02.04.2007 द्वारा आवेदकों के हित में जारी भूमि स्वामी अधिकारों से सम्बन्धित आदेश अपास्त किया गया।

3- यहकि, कलेक्टर जिला सतना के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 5 द्वारा अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा को प्रकरण क्रमांक 415/06-07 प्रस्तुत किया गया जिसमें अपर कमिश्नर द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.10.2007 द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 5 का पुनरीक्षण बलहीन होने के कारण निरस्त किया। इस प्रकरण में आवेदकगणों को सुनवाई का विधिवत् अवसर नहीं दिया गया। इस कारण

R- 164 -I/08 जिला- सतना

01-08-18

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 6/2007–08 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 3–12–2007 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अधिक समय वाद कलेक्टर सतना को स्व. निगरानी में प्र.क. 38/06–07 दर्ज करने की अधिकारिता नहीं है और जब यह तर्क अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, अपर आयुक्त ने इस पर ध्यान न देने में भूल की है क्यों कलेक्टर ने आवेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है।

अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि जिन तथ्यों को पुनरावलोकन आदेश दिनांक 3–12–07 के विरूद्व प्रस्तुत निगरानी में आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा उठाया जा रहा है उनका निराकरण अपर आयुक्त आदेश दिनांक 6–10–07 में कर चुके है जिसके कारण निगरानी व्यर्थ होने से निरस्त की जाय।

3/ दोंनो पक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने

[कृ. प. उ.

सतना

R 164=एक/2008

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह सही है कि विचाराधीन निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 6/2007–08 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 3–12–2007 के विरूद्व है जिसके व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 415/06–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6–10–07 में आवेदक व्दारा दशाई गई कमियों का निराकरण इस प्रकार किया गया है :–

" चूँकि कलेक्टर व्दारा पारित आदेश के विरूद्व आवेदक का यदि हित प्रभावित होता था तो उसे इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करना चाहिये थी जो उसके व्दारा हीं की गई है। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय में 17 पक्षकार थे और सभी को सुनकर आदेष पारित किया गया था तो दूसरे की निगरानी पर इन सभी पक्षकारों को सुनने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ये सव औपचारिक पक्षकार थे और अधीनस्थ न्यायालय के आदेष को इस न्यायालय के व्दारा पारित आदेष दिनांक 6–10–07 व्दारा विधिसम्मत माना गया है। अतः मेरे व्दारा ऐसी कोई विधिक त्रृटि नहीं की गई है जिससे यह पुर्नविलोकन आवेदन पत्र ग्राह्यता पर स्वीकार किया जा सके। "

म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन के लिये निम्न आधार बताये गये हैं –

1. **किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी, या,**
2. **मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती,**
3. **कोई अन्य पर्याप्त कारण ।**

उपरोक्त में से कोई भी आधार प्रस्तुत कर आवेदक अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को समाधान नहीं करा सके है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 6/2007–08 पारित आदेश दिनांक 3–12–2007 से पुनरावलोकन आवेदन अग्राह्य किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता है। फलतः प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य

शाक्षेमुग्वा—321—फॉर्म्स—21-9-2012—10,000.